

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 84/अ-20(3)/2023-24

(दिनांक 16 नवम्बर 2024 को पारित)



प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद स्थित की कुल भूमि 9.910 हेक्टेयर भूमि में से 8.27 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लॉक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम खेड़ा-चौहान की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1360	4.100	3.42
2	1361	2.720	1.76
3	1362	3.090	3.09
	कुल किता 3	9.910 हेक्टेयर	8.27 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बड़ौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। प्रकरण में दिनांक 16/02/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु तथा सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मयं प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कार्यालय सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे. वि.वि.क. लिमि. बड़ौद द्वारा पत्र क्रमांक/क.पं/2024-25/6827 बड़ौद दिनांक 11.03.2024 से अवगत कराया कि ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 हे., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 हे., 1362 रकबा 3.090 हे. भूमि को स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि.(भ/स) उपसंभाग आगर-मालवा द्वारा पत्र क्रमांक/96/तक/2023-24 आगर दिनांक 23.02.2024 से अवगत कराया कि ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 हे., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 हे., 1362 रकबा 3.090 हे. भूमि यदि शासकीय है. तो स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आगर मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/2024/633 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से अवगत कराया कि ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद स्थित सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 हे., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 हे., 1362 रकबा 3.090 हे. भूमि को स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में वन विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। ग्राम पंचायत खेड़ा नारेला द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक

5 दिनांक 16.09.2024 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 है. में से 3.42 हे. 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 है., 1362 रकबा 3.090 है. कुल किता 3 कुल रकबा 8.27 है भूमि का स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ती नहीं है। पंचायत का ठहराव प्रस्ताव प्रकरण में संलग्न किया गया है। प्रकरण में पटवारी ग्राम खेडा चौहान के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई। पटवारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेडा चौहान की गोचर भूमि का रकबा 11.16 हे. है। ग्राम की शामिल जोत का कुल रकबा 318.08 हे. है जिसका 2 प्रतिशत 6.36 हे. होता है, अतः उक्त भूमि आवंटन से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होगा। हल्का पटवारी खेडा चौहान द्वारा ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है. 1361 रकबा 2.720 हे., में से 1.76 है., 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 8.27 है. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम खेडा चौहान स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है. 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 है., 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल प्रस्तावित रकबा 8.27 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 अनुसार ग्राम खेडा चौहान की सिंचित भूमि 14,32,000 (अक्षरी चौदह लाख बत्तीस हजार) प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6- 101/2019/सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 1,89,48,224/- अक्षरी एक करोड़ नवासी लाख अड़तालीस हजार दो सौ चौबीस रुपये होता है। तहसीलदार द्वारा ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 है., 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल प्रस्तावित रकबा 8.27 हे. भूमि को वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर- बड़ौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बड़ौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 है. एवं 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 9.910 हे. में से 8.27 हे. भूमि को धिरौली कॉल ब्लॉक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशांसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बड़ौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 है. एवं 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 9.910 हे. में से 8.27 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 9.910 हे. में से 8.27 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर

राशि के मान से निर्धारण 1,89,48,224/- (एक करोड नवासी लाख अडतालीस हजार दो सौ चौबीस रुपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-ling
16/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)

क्लेक्टर

जिला आगर मालवा म.प्र.

आगर मालवा, दिनांक 16/11/2024

क्रमांक/रीडर/2024/440

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावे तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-ling
16/11/24

क्लेक्टर

जिला आगर मालवा म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौदा			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. फसल 2. खरीफ 3. रबी 4. जायद 5. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिद्दाह संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर सरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612077434 81MSRHD8ZLGSH0	1360/1 (S)		3.4200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0084/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौदा			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. फसल 2. खरीफ 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाह संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612077412 81MSTED8ZMT3H0	1361/1 (S)		1.7600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0084/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौदा			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (र. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के खरीफ 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाह संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1471725911 81MRA8D8ZN2VH0	1362 (S)		3.0900 हेक्टेयर का0का0 3.0900 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0084/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट